

निदेशालय चिकित्सा सेवायें
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार
5-बी, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना
श्रम संसाधन विभाग।

॥ अधिसूचना ॥

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली-2023 के प्रावधानों के तहत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों को कंडिका-05 में नामित पद का अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:-

क्र०	कर्मचारियों का नाम एवं गृह जिला	मूल कोटि की वंशियता क्रमांक	वर्तमान कोटि/पद	अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यकारी प्रभार (वेतन सहित) देने हेतु समिति की अनुशंसा (अनुशंसित पद एवं वेतनमान)
1.	श्रीमति गीता कुमारी/ गयाजी	01	उच्चवर्गीय लिपिक लेवल-4	प्रधान लिपिक/ लेवल-6
2.	श्री नन्द किशोर कुमार/पटना	02	उच्चवर्गीय लिपिक लेवल-4	प्रधान लिपिक/ लेवल-6

- यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक- 13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्या-636, दिनांक-10.01.2024 में निहित शर्तों के अधीन है।
- अधिसूचना में नामित सभी कर्मचारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उनके नाम के सामने स्तंभ-05 में अंकित पद एवं वेतनमान में उल्लिखित किया जाता है।
- अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

(सत्येन्द्र प्रसाद)
निदेशक, चिकित्सा सेवायें

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि०-74/2023- 488

पटना, दिनांक-17-06-2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, पटना/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/मुजफ्फरपुर/सभी प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित कर्म/आई०टी० प्रबंधक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सत्येन्द्र प्रसाद)
निदेशक, चिकित्सा सेवायें